राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(113)ग्रावि / नरेगा / SMART VILLAGE / 2017 / Eo-133897 जयपुर, दिनांकः 9 AUG 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्मार्ट विलेज में लिए जाने वाले कार्यों को दिनांक 15.08.2017 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदित कराये जाने बाबत।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दि. 15.05.2017 एवं 09.08.2017।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्मार्ट विलेज में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। **स्मार्ट विलेज** विकसित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण वर्ष 2017–18 में बजट भाषण एवं मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई है। इन कार्यों की राज्य स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

प्रासंगिक पत्र दिनांक 09.08.2017 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्मार्ट विलेज में निम्न कार्य लिए जाना सुझाया गया है –

1. स्वराज–पथ के तहत गाँव की आन्तरिक सड़क / गलियों पर इण्टरलोकिंग ब्लॉक / सीसी रोड़ / पत्थर अथवा ईंट के खरंजे मय दोनों ओर पक्की नालियों / जल निकासी प्रबन्धन कार्य (सोख्ता गड्ढा आदि) का निर्माण।
2. गाँव के खेल मैदान के विकास का कार्य।
3. चारागाह विकास हेतु खाई / मिट्टी की चारदीवारी निर्माण, पौधारोपण एवं चारागाह विकास कार्य।
4. मॉडल तालाब निर्माण कार्य।
5. राजकीय विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण।

कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चयनित **स्मार्ट विलेज** में लिए जाने वाले ऊपर वर्णित कार्यो को दिनांक 15.08.2017 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदित कराते हुए पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करावे एवं प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्य स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. परि.निदे एवं पदेन उप सचिव (SAP-I) ग्राविवि।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस